न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 04/2026 (बांसवाड़ा डिक्री)

विजय कुमार दत्तक पुत्र तोलाचन्द पंचाल, अस्थाई निवास गांव चंदुजी का गड़ा, मुल निवासी एवं वर्तमान निवास स्थान गोपीनाथ का गडा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कस्तुरी पत्नी नानुलाल पुत्री तोलाचन्द पंचाल, निवासी जौलाना, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. तहसीलदार गढी, जिला बांसवाडा (राज.)

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधि. गढी
दि॰ 20.01.2026 प्र0 सं0 119/2025

———::———

उपस्थित :– 1. श्री राजकुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 29.05.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के संयुक्त खाते के कब्जे की आराजी नम्बर 112, 121, 124, 3617/110, 3619/111, 3621/113, 3623/116, 3625/117, 3627/117, 3629/120, 3631/122, 3633/125, 3635/126, 3637/128, 3639/129, 3641/139, 3643/147, 3646/179, 3648/2978, 3649/53, 3651/616, 3653/96 कुल किता 24 रकबा 0.8200 हैक्टेयर भूमि ग्राम गोपीनाथ का गडा तहसील गढ़ी में स्थित है, जो उन्हें उनके पिता तोलाचन्द पिता कोदर से प्राप्त हुई। वादी तोलाराम का गोद पुत्र है। तोलाचन्द की मृत्यु के बाद वादी, प्रतिवादी संख्या 1 एवं माता धुली के नाम नामान्तरण खोला गया, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तरण संख्या 539 अपने नाम खुलवा लिया, जबकि वादी तोलाराम का गोद पुत्र होने से राजकीय दस्तावेजों में उसका नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि की खातेदार होने से बेचने की धमकी देती है तथा अवैध निर्माण करने पर उतारू है। अतः

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

निवेदन किया कि वाद पत्र के कॉलम 1 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 74 नया 51 पुराना के कुल खेत नग 22 कुल रकबा 0.8200 हैक्टेयर वाके गांव गोपीनाथ का गडा तहसील गढी जिला बांसवाडा में स्थित कृषि भूमि में स्व. तोलाचन्द की मृत्यु के बाद बजरिये मोटेशन नम्बर 539 दिनांक 23.11.2010 में प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ श्रीमती धुली पत्नी स्व. तोलाचन्द खोला गया मोटेशन निरस्त कर प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ वादी को सहखातेदार घोषित किया जावे व इस आशय की घोषणा व डिक्री किये जाने के आदेश फरमावे।

2. प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर वादी का दावा खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः तनकीयात कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

3. राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा धारा 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.01.2026 को स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील दिनांक 13.03.2026 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट मूल खातेदार स्व. तोलाराम का दत्तक पुत्र है, किन्तु अपीलान्ट की बिना जानकारी के तोलाराम की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट कस्तूरी व श्रीमती धुली ने नामान्तरण अपने नाम करवा लिया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को समझे बिना पूर्व में रेसजुडीकेटा के आधार पर वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय अपास्त होने पर माननीय न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए धारा 11

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

सी.पी.सी. के आधार पर वाद खारिज कर दिया। किसी भी वाद को मात्र धारा 11 के प्रार्थना पत्र के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। राजस्व अपील अधिकारी के आदेशों की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई। धारा 11 के सिद्धातों की पालना नहीं की गई। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2026 अपास्त की जावे तथा प्रकरण सुनवाई, जवाबदावा, तनकीयात कायम कर पक्षकारों के साक्ष्य सबूत लेकर साक्ष्यों के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित किया जावे। अपीलान्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत :– 2015 (1) आर.आर.टी. 655, 2024 (2) आर. आर.टी. 1119 प्रस्तुत की।

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट तोलाराम जी का गोद पुत्र नहीं है तथा पूर्व में इन्हीं भूमियों बंटवारे का वाद निस्तारित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का वाद रेसजुडीकेटा से बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पूर्व में पक्षकारों के मध्य एक वाद विभाजन बाबत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है, जिसमें वादी/अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 2 है तथा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 2 है। उक्त वाद में विवादित आराजीयात भी सम्मिलित है, जिसमें दिनांक 08.03.2017 अन्तिम डिक्री जारी हो चुकी है। उक्त तथ्य को छुपाकर अपीलान्ट/वादी द्वारा पुनः घोषणा का दावा प्रस्तुत कर दिया गया है, जो रेसजुडिकेटा से प्रभावित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2026 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

29.5.26

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर